

कार्यालय जिला पंचायतराज अधिकारी, अमेठी

पत्रांक: 4574 / पं० / स्व०भा०मि०(ग्रा०) / सा०शौ०के०मा०भुगतान / 2024-25 दिनांक- 4/11/25

समस्त ग्राम प्रधान/सचिव

ग्राम पंचायत

द्वारा

सहायक विकास अधिकारी (पं०)

जनपद-अमेठी।

विषय:-ग्राम पंचायतों में निर्मित सामुदायिक शौचालयों के संचालन एवं रख-रखाव हेतु नामित केयर टेकर के मानदेय भुगतान के सम्बन्ध में।

उपर्युक्त विषयक मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण), उ०प्र० के पत्र संख्या: 5/1909/2023-5 / 127-III/2022 दिनांक 28 दिसम्बर, 2022 एवं निदेशक पंचायतीराज, उ०प्र० महोदय के पत्र संख्या-5/1887/2024-5/127/2018 SBM(G) दिनांक 20 दिसम्बर, 2024 द्वारा स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजनान्तर्गत निर्मित कराये गये सामुदायिक शौचालयों के सम्बन्ध में रख-रखाव, समय से खोले जाने तथा केयरटेकर को मानदेय एवं साफ-सफाई आदि के लिये भुगतान व निर्मित सभी सामुदायिक शौचालयों के सुव्यवस्थित संचालन किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। सामुदायिक शौचालयों के रख-रखाव के लिये शासनादेश संख्या-1758 दिनांक 15.07.2020 के माध्यम से विस्तृत निर्देश निर्गत किये गये हैं। जिसमें सामुदायिक शौचालयों के रख-रखाव के लिये केयरटेकर नियुक्त किये जाने की व्यवस्था की गई है तथा प्रति सामुदायिक शौचालय रू० 6000 केयर टेकर मानदेय तथा रू० 3000 सामुदायिक शौचालय व /- प्रति माह की दर से केयरटेकर के मानदेय एवं साफ-सफाई के लिये केन्द्रीय वित्त की धनराशि से वहन करने की व्यवस्था की गयी है। जिसके क्रम में आप द्वारा निरन्तर भुगतान भी किया जा रहा है, किन्तु ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर जनपद अमेठी की समीक्षा करने पर पाया गया कि सामुदायिक शौचालयों के संचालन एवं रख-रखाव में लगाये गये केयर टेकरों को नियमित रूप से भुगतान नहीं किया जा रहा है तथा पोर्टल पर भुगतान की प्रगति भी अत्यन्त खराब प्रदर्शित हो रही है। जबकि आप द्वारा समीक्षा बैठकों में अवगत कराया जाता रहा है कि केयर टेकरों का भुगतान ससमय किया जा रहा है। इससे स्पष्ट होता है कि आप द्वारा प्रस्तुत सूचना भ्रामक/मित्थ्या है अथवा केयर टेकर का भुगतान निर्धारित हेड में नहीं किया जा रहा है, जिससे भुगतान की स्थिति पोर्टल पर स्पष्ट प्रदर्शित नहीं हो पा रही है।

उक्त के क्रम में सामुदायिक शौचालयों के संचालन एवं रख-रखाव हेतु नियुक्त केयर टेकर के मानदेय भुगतान हेतु निम्न विवरण के अनुसार निर्धारित हेड को चयनित करते हुए भुगतान कराना सुनिश्चित करें:-

टाइड/अनटाइड ग्रांट से भुगतान हेतु प्रक्रिया

बेवसाइट-	https://egramswaraj.gov.in
कार्य का विवरण-	सामुदायिक शौचालय केयर टेकर मानदेय भुगतान
स्कीम का नाम-	XV Finance Commission
एकाउन्ट हेड का नाम-	Tied Grant / Basic Grant (Untied)
मेजर हेड	2215- Water Supply and Sanitation
माइनर हेड	103- Sewerage and Sanitation
एफ०एफ०सी० पी०एफ०एम०एस० हेड-	24- Sanitation Including Septage Management (XV)
ऑब्जेक्ट हेड-	50- O and M For Community Managed Sanitation Complex (SBM-G)

अतः आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार निर्धारित हेड में ही सामुदायिक शौचालय के संचालन एवं रख-रखाव हेतु नामित केयर टेकर को मानदेय भुगतान कराना सुनिश्चित करें। यदि भविष्य में किसी भी ग्राम पंचायत द्वारा उक्त निर्देशों की अवहेलना की जाती है तो संबंधित का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए विभागीय कार्यवाही अमल में लायी जायेगी, जिसके लिए संबंधित स्वयं जिम्मेदार होंगे।

4/11/25
(मनोज कुमार त्यागी)
जिला पंचायतराज अधिकारी,
०/८ अमेठी